न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 50/2023
(GCMS 2023/195)(212419720493593)

नीरज सिंह राठौड़ निवासी गली नं. 06, सागर रोड़, वार्ड नं. 30 बीकानेर (मोबाईल नं. 98871–55887)

बनाम

उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़

28.03.2024

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी नीरज सिंह राठौड़ स्वंय उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि **अपीलार्थी ने तहसीलदार, सूरतगढ़ से** सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 01.08.2023 से दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी नीरज सिंह राठौड़ ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र की प्रति अपील के साथ संलग्न नहीं की है।

तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ ने अपीलार्थी को लिखते हुए, अपने पत्रांक सम/3368–69 दिनांक 17.10.2023 से अपील का जवाब निम्नानुसार दिया हैः

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक प्रार्थना पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि आप द्वारा चाही गई बिन्दुवार सूचना निम्नानुसार हैः
>
> 1. डीआईएलआरएमपी योजनान्तर्गत तहसील सूरतगढ़ के कुल 500 ग्रामों/चकों में से 455 ग्रामों/चकों को ऑन लाईन अधिसूचित किया जा चुका हैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:20:17 IST
Reason: SelfAttested

Lok
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

2. ग्राम पंचायत करडू के ग्राम करडू वर्तमान में ऑनलाईन ग्राम है। तहसील सूरतगढ़ के ऑफ लाईन 45 ग्रामों में से 20 ग्रामों में सर्वे–रिसर्वे कार्य हेतु चयनित किये हुए है, जिनमें ग्राम करडू भी सम्मिलित है। सर्वे–रिसर्वे कार्य पूर्ण होने पर ही ग्राम करडू को ऑनलाईन अधिसूचित करवाया जा सकता है।

-sd-
तहसीलदार (राजस्व)
सूरतगढ़

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ ने उक्तानुसार अपील का जवाब प्रेषित किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि **वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निराकरण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इस प्रकार तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ द्वारा अपील का दिया गया जवाब सही है, जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:20:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:20:17 IST
Reason: SelfAttested